

**DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT**  
**BULLETIN PART-II**  
(General information relating to legislative and other matters)  
Friday, 15<sup>th</sup> February 2008/26 Magha 1929 (Saka)

No. 235

**Sub: DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS**

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from SHO, Parliament Street, New Delhi.

"I have the honour to inform you that Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi, Dr. Jagdish Mukhi and Dr Harsh Vardhan were detained u/s 65 of Delhi Police Act from Police Station Parliament Street, at 1300 Hrs on 15.02.2008.

They were released at 1315 Hrs from the same place on the same date. "

**SIDDHARATH RAO**  
Secretary

दिल्ली विधान सभा सचिवालय  
समाचार भाग-2  
(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)  
शुक्रवार 15 फरवरी 2008/26 माघ, 1929 (शक)

संख्या-235

विषय: सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा, दिल्ली को संबोधित, थाना अध्यक्ष संसद मार्ग, नई दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है :-

"मुझे सम्मानपूर्वक आपको यह सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों डा0 जगदीश मुखी और डा0 हर्ष वर्धन को दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के तहत पुलिस थाना संसद मार्ग से दिनांक 15.2.2008 को अपराह्न 1300 बजे गिरफ्तार किया गया ।

उन्हें उसी दिन उसी स्थान से अपराह्न 1315 बजे रिहा कर दिया गया ।

सिद्धार्थ राव  
सचिव